ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तलाड़ा विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री नरेन्द्र कुमार	1.4.14 से 21.1.16
2	श्रीमती सुनीता देवी	22.1.16 से अद्यतन

(ii) सचिवः—

1	श्री श्रीमती मीना कुमारी	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत तलाड़ा के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**राशि (लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना	—
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.36

3	8	रेत, बजरी की ढफलाई पर अधिक भुगतान	0.06
4	9	बिना उचित बिल/वाउचर के अनियमित भुगतान	0.58
5	10	अनुदान राशि का अवरोधन	29.93
6	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	3.41

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.17 (A.N.) से 26.8.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 9/14, 2/16 व 1/17 तथा 12/14, 3/16 व 3/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-85 दिनांक 25.8.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तलाड़ा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों के अनुसार **(परिशिष्ट–1 क से ग)** निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	शेष राशि
2014–15	2166915.65	644396	61104	2872415.65	1145682.95	1726732.70
2015–16	1726732.70	3836884	88598	5652214.70	2765446.23	2886768.47
2016–17	2886768.47	5032644	125189	8044601.45	3657356.91	4387244.54

4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम–7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने हेतु बैंक समाधान विवरणी का निर्माण अनिवार्य था। रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होंने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक खातों में मिलान करने अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय का विवरणः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार ग्राम पंचायत तलाड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से ग)** में दिया गया है।

5 स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय ₹490 बैंक में कम जमा करवाने बारेः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 063901 से 064000 व 086802 से 086837 तक कुल ₹21340 ग्राम पंचायत द्वारा माह 2/2016 में प्राप्त की गई थी परन्तु रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 204, दिनांक 23.2.16 तथा बैंक पास बुक की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा केवल ₹20850 ही रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक में जमा करवाए गए थे जोकि कुल प्राप्त आय से ₹490 कम है। अतः इस कम जमा राशि को बैंक में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बजट प्राक्क्लन नियमानुसार फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाए गए थे। अतः पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत की राजस्व ₹36290 की वसूली शेष थी **(परिशिष्ट–3)**

(i) गृहकर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	23130	17950	41080	1090	39990
2015–16	39990	17950	57940	50600	7340
2016–17	7340	17950	25290	–	25290

(i) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	उपलब्ध नहीं	4500	4500	–	4500
2015–16	4500	4500	9000	2500	6500
2016–17	6500	4500	11000	–	11000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.2017 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर में प्रत्येक परिवार की बकाया राशि की प्रविष्टियाँ 31.3.2017 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा मोबाईल टावर कम्पनियों से वसूला जाने वाले शुल्क के लिए मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिस कारण दिनांक 1.4.14 को कितनी राशि की वसूली शेष थी की गणना सम्भव न हो सकी तथा न ही कोई विवरण पंचायत के पास उपलब्ध था। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना वर्ष से कुल मांग व प्राप्त शुल्क की गणना करके दिनांक 1.4.14 को शेष राशि की गणना करना तथा मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 रेत व बजरी की ढुलाई के लिए ₹0.06 लाख का अधिक भुगतानः–

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 244 दिनांक 9.3.17 की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रेत व बजरी की खरीद व ढुलाई हेतु विभिन्न प्राप्त निविदाओं के आधार पर प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 28.12.16 को मै0 मोहर सिंह के द्वारा दी गई दरों को स्वीकृत किया गया था, जिसमें अन्य दरों के साथ–2 ढुलाई की दर ₹40 प्रति CFT स्वीकृत थी। पंचायत द्वारा बिल

संख्या 28 दिनांक शून्य के अननुसार मै0 मोहर सिंह से 832 CFT रेत व 271 CFT बजरी का क्रय किया गया परन्तु क्रय रेत व बजरी की ढुलाई के लिए मै0 मोहर सिंह को ₹40 प्रति CFT के स्थान पर ₹45 प्रति CFT की दर से भुगतान किया गया जोकि स्वीकृत दर से ₹5 अधिक था। अतः क्रय ₹1103 CFT रेत व बजरी की ढुलाई पर किए गए ₹5515 के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान ₹5515 की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 बिना उचित बिल के ₹0.58 लाख का अनियमित व्ययः–

अंकेक्षण अवधि के बिल वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न सामानों को क्रय करने के पश्चात गाड़ी के किराये का भुगतान बिल प्राप्त किए बिना ही किया गया जबकि नियमानुसार गाड़ी ढुलाई का बिल गाड़ी नम्बर सहित प्राप्त करने के पश्चात भुगतान करना अपेक्षित था। बिल प्राप्त किए बिना किए गए किराये के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनुदान	वा0सं0	माह	गाड़ी किराये की राशि
1	सामान्य	87	3/17	13279
2	IWMP	3	3/17	21000
3	LADA	29	3/17	23463
			कुल भुगतान	**57742**

अतः उपरोक्त भुगतानों के बिल गाड़ी नम्बर सहित प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अन्यथा इस राशि की भरपाई सम्बन्धित से की जाए।

10 अनुदान ₹29.93 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–4)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक प्राप्त अनुदानों की राशियों से ₹2992769 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.41 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित करना इत्यादि प्रावधित है। व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹340720 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचाकिताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है। स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

ग्राम पंचायत तलाड़ा में अंकेक्षण अवधि के बिल वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार भुगतानों के वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) प्राप्त नहीं की गई थी। अतः वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल सं0	फर्म	राशि
1	TSC	171	3717 से 3719/30.5.13	मै0 हरी राम चौधरी एण्ड ब्रदर्स सैन्ज	28278
2	IWMP	6	01/11.6.14	मै0 जगदीश चन्द सैन्ज	14400
3	14th FC	251	8455 – 56/शून्य	मै0 शर्मा ईलैक्ट्रीकल एण्ड हार्डवेयर स्टोर औट	39620
4	IWMP	11	2805/9.3.17	मै0 सिंह वायर इन्डस्ट्री शमशी	69825
5	13th F.C.	234	–	डी0पी0ओ0 कुल्लू	15306

13 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्न क्रय सामग्री को पंचायत द्वारा स्टॉक

रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है। अतः दिए गए विवरणानुसार प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Grant	Bill No.	Firm	Item	Amt. (₹)
1	TSC	3042/30.5.13	M/S Hari Ram Chaudhary & Bros Sainj	Coust.Material	11325
	do	3718/30.5.13	-do-	-do-	5468
	do	3719/30.5.13	-do-	-do-	7460
	do	3717/30.5.13	-do-	-do-	15350
2	14th FC	8455/Nil	M/S Sharma Electrical & H/W Store Aut	Const Material	17730
	do	8456/Nil	-do-	-do-	21890
				Total	**₹79223**

14 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्रक्कलन तैयार किया बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय दिए विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	माह/वर्ष	व्यय राशि
1	TSC	नि0 सामुदायिक शौचालय धाराकुटली	134000	12/14	105351
2	IWMP	नि0 सिंचाई टैंक, जूही	288385	12/14	93045
3	LADA	नि0 सामुदायिक भवन तुदाला देवता धारा	325500	3/16	82585
4	LADA	नि0 पक्का रास्ता तलाडा से बालीगाड	242000	3/16	1500
5	14th FC	सार्वजनिक मैदानों का रख रखाव बुगडू महादेव बडिला	200000	3/17	66004
6	14th FC	मु0 रास्ता कोटली से बान	200000	3/17	5520

15 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register F-20
2	Cheque issue/Receipt Register
3	Work Register
4	Bill Register F-13
5	Stationary Register-F-26
6	Temporary Advance Register

16 **₹0.76 लाख का अनियमित अग्रिम भुगतानः–**

व्यय वाउचरों व कार्यवाही रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य सामुदायिक भवन तुदाला के लिए अनुदान लाडा के अन्तर्गत बिल संख्या 3217 दिनांक 19.3.16 द्वारा मै0 G.R.T. Steel Thalaut से ₹76385 का स्टील क्रय किया गया व जिसके लिए रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 13 दिनांक 16.3.16 को अग्रिम भुगतान किया गया जबकि पंचायत द्वारा प्राप्त कुटेशनों को पंचायत सभा से प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 25.3.16 को अनुमोदित किया गया दर्शाया गया है व व्यय भुगतान भी दिनांक 25.3.16 को पंचायत सभा मे ंपारित करवाया गया। अतः व्यय भुगतान व कुटेशनों को स्वीकृत व अनुमोदन करने के पूर्व सामानों का क्रय व भुगतान अनुचित व आपत्तिजनक है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **सत्यापित उपस्थिति विवरणी/मस्ट्रोल के बिना भुगतानः–**

ग्राम पंचायत तलाड़ा के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा सिलाई अध्यापिका व पशु सहायक को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया परन्तु वाउचर के साथ सत्यापित उपस्थिति विवरणी/मस्ट्रोल संलग्न नहीं थे। जिन्हें प्राप्त करके व सक्षम

अधिकारी से सत्यापित करवाकर जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	भुगतान अवधि	नाम	राशि
1	77/3/17	1.1.17 से 28.2.17	श्री बहादुर सिंह पशु सहायक	7000
2	81/3/17	1.6.16 से 28.2.17	श्रीमती भुवनेश्वरी सिलाई अध्यापिका	18000

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 निष्कर्षः— पंचायत के अभिलेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 16/2017—खण्ड—1—621—624 दिनाँक20.01.2018
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620046